रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1970/अग्रहायण 25, 1892

No. 449] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 1970/AGRAHAYANA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th December 1970

S.O. 3942.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Seventh Amendment Order, 1970.

2. In the Imports (Control) Order, 1955,—

(1) the clause 2(aaa) shall be substituted by the following, namely:—

"Chief Controller of Imports and Exports" includes a Joint Chief Controller of Imports and Exports, a Deputy Chief Controller of Imports and Exports and a Deputy Iron and Steel Controller.

(2) in clause 9, the words "or the Development officer (Tools), the Development Wing" appearing after the words "the Chief Controller of Imports and Exports" shall be deleted.

(3) the clause 10E shall be substituted by the following, namely:—

"10E. Power of Deputy Iron and Steel Controller.—The powers exerciseable under clauses 8, 8A or 10C shall also be exerciseable by the Deputy Iron and Steel Controller, against a licensee or importer or any other person in relation to goods licensable by the Deputy Iron and Steel Controller, that is to say, Iron and Steel and Ferro-alloys."

(4) the existing Schedule II shall be substituted by the following namely:—

SCHEDULE II

(See clause 3)

Officers Competent to Grant Import Licences

1. The Chief Controller of Imports and Exports. 2. A Joint Chief Controller of Imports and Exports. 3. A Deputy Chief Controller of Imports and Exports. 4. A Controller of Imports and Exports. 5. Any Officer authorised by the Central Government for any goods described in Schedule I.	For any goods covered by Part I to VI of Schedule I.
6. A Deputy Iron and Steel Controller. 7. An Assistant Iron and Steel Controller. 8. A Deputy Assistant Iron and Steel Controller. 9. Controller of Imports and Exports, New Kandla.	For Iron and Steel and Ferro Alloys.

(in so far as Kandla Free Trade Zone is concerned).

[No. 10/70.

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर 1970

एस० ओ० 3942.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात :—

1. इस आदेश का आयात (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1970 की संज्ञा दी जाए।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में

(1) धारा 2 (ए ए ए) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात" में एक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एक उप-मुख्य नियंत्रक, आयात - निर्यात तथा उप नियंत्रक लोहा तथा इस्पात शामिल हैं,

(2) धारा 9 में शब्द "मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात" के बाद दिखाए गए शब्द "अथवा विकास अधिकारी (औजार) विकास स्कन्ध" हटाए जाएंगें।

(3) धारा 10ई निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"10 ई उप नियंत्रक लोहा तथा इस्पात के अधिकार.—धारा 8,8ए अथवा 10 सी के अन्तर्गत प्रयोज्य अधिकार, उप-नियंत्रक लोहा तथा इस्पात द्वारा लाइसेंसधारी अथवा आयातक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विपरीत उप नियंत्रक लोहा तथा इस्पात द्वारा लाइसेंस दिए जाने योग्य मदों के सम्बन्ध में जैसे कि लोहा तथा इस्पात तथा फैरो-अलाय के लिए भी प्रयोज्य होंगे।

(4) वर्तमान अनुसूची–2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची-2

(धारा 3 देखिए)

आयत लाइसेंस प्रदान करने वाले समर्थ अधिकारी

1. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात 2. एक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात 3. एक उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात 4. एक नियंत्रक, आयात तथा निर्यात 5. अनसूची 1 में निहित किसी मद के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकार	अनसूची 1 के भाग 1 से 4 द्वारा सम्मिलित किसी भी माल के लिए
6. एक उप-नियंत्रक, लोहा तथा इस्पात 7. एक सहायक नियंत्रक, लोहा तथा इस्पात 8. नियंत्रक आयात तथा निर्यात, न्यू कान्डला (जहां तक कान्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र का सम्बन्ध है)	लोहा तथा इस्पात तथा फैरो अलाय के लिए

[सं० 10/70.]

आर० जे० रबैलो,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970